-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 06 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/टप्पेबाजी के करीब 32 लाख रुपए अनुमानित कीमत के माल/नकद रुपए व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद।**
- **हरियाणा/राजस्थान के रहने वाले हैं अभियुक्त। चार पहिया वाहन से भारत के अलग-अलग राज्यों में घूम-घूम कर चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को देते थे अंजाम।**
- **अभियुक्तों द्वारा बांदा, चित्रकूट मैहर सतना आदि सहित भारत के अन्य राज्यों में भी चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिनके सम्बन्ध में जांच कर आपराधिक इतिहास के बारे में की जा रही है जानकारी।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व अपर पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18.03.2026 को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी/टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है अभियुक्तों के कब्जे से करीब 32 लाख रुपए अनुमानित कीमत के माल/नकद रुपए व घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन बरामद हुए है। गौरतलब है कि दिनांक 11.02.2026 को थाना तिंदवारी क्षेत्र की रहने वाली उमा पत्नी कमल द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 10.02.2026 को वह शादी में जाते समय रिक्शे में 02 अज्ञात महिलाओं द्वारा उनके पर्स को चोरी कर लिया जिसमें सोने के आभूषण आदि थे तथा दिनांक 20.02.2026 को जनपद हमीरपुर थाना मौदहा क्षेत्र की रहने वाली रिन्शू सिंह पत्नी शोभित द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 19.02.2026 को बांदा संकट मोचन मंदिर के पास एक ऑटो में 04 अज्ञात महिलाओं द्वारा उनके बैग से जेवरात निकाल लिए। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से अभियुक्तों की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले 06 अभियुक्तों (04 महिला व 02 पुरुष) को मवई बाईपास महोबा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे में चोरी/टप्पेबाजी के करीब 32 लाख रुपए अनुमानित कीमत के माल/नकद रुपए व घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन बरामद हुए है माल सहित घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन बरामद हुए है। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह सभी इसी दोनों चार पहिया वाहनों से भारत के अलग-अलग राज्यों में घूम-घूम कर ग्रुप बनाकर चोरी/टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देते है और आभूषणों को स्वयं गलाकर आपस में बांट लेते है। यह चारपहिया वाहन ग्रैंड विटारा भी हम लोगों ने चोरी/टप्पेबाजी के सामानों की बिक्री से प्राप्त रुपए से खरीदी है। गहनता जांच/पूछताछ के क्रम में पाया गया कि ये सभी आपस में रिश्तेदार है तथा पेशेवर अपराधी है और ये सभी बच्चों का भी सहारा लेकर चोरी/टप्पेबाजी करते है। ये सभी हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले है और चैत्र नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत मन्दिरों सहित भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि से चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके द्वारा बांदा, चित्रकूट मैहर सतना आदि सहित भारत के अन्य राज्यों में भी चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग सम्मिलित हैं तथा इनके द्वारा और किन-किन स्थानों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिनके सम्बन्ध में जांच कर आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 06 टंच पीली धातु वजन 71.140 ग्राम (चोरी/टप्पेबाजी के) अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए
- 02 टंच सफेद धातु 803 ग्राम (चोरी/टप्पेबाजी के) अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए
- 01 चार पहिया वाहन ग्रैंड विटारा (चोरी/टप्पेबाजी के सामानों की बिक्री से प्राप्त) अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए
- 32 हजार रुपए नकद (चोरी/टप्पेबाजी के)
- 01 चार पहिया वाहन मारुति टूर एस (चोरी/टप्पेबाजी में प्रयुक्त)
- 07 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुभाष चन्द्र पुत्र विक्रम निवासी कैलाश नगर थाना कैंट जनपद पलवल (हरियाणा) ।
2. रोहित पुत्र बीरपाल निवासी कैलाश नगर थाना कैंट जनपद पलवल (हरियाणा) ।
3. नेहा पत्नी रोहित निवासी कैलाश नगर थाना कैंट जनपद पलवल (हरियाणा) ।
4. गीता पत्नी धन्नी निवासी कैलाश नगर थाना कैंट जनपद पलवल (हरियाणा) ।
5. काजल पुत्री धन्नी निवासी कैलाश नगर थाना कैंट जनपद पलवल (हरियाणा) ।
6. नीलम पत्नी सोनू निवासी चक गिरवारी नगर थाना ढ़ींग जनपद भरतपुर (राजस्थान) ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 133/26 धारा 305/317(2)/317(4)/112(2)/95 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 91/26 धारा 305/317(2)/317(4)/112(2)/95 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास-

- अभियुक्तों द्वारा बांदा, चित्रकूट मैहर सतना आदि सहित भारत के अन्य राज्यों में भी चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिनके सम्बन्ध में जांच कर आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली नगर श्री बलराम सिंह
2. श्री आनन्द कुमार प्रभारी एसओजी मय टीम
3. श्री यज्ञनारायण भार्गव चौकी प्रभारी बलखंडीनाका
4. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डी समिति
5. उ0नि0 श्री दीपक चौधरी
6. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार
7. म0उ0नि0 रश्मि सिंह
8. म0हे0कां0 नालम देवी
9. म0कां0 सरोज साहू
10. कां0 नितेन्द्र कुमार
11. कां0 प्रशांत कुमार
12. कां0 सौरभ
13. कां0 दीपक